UPRB010039262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1685/2026</u>

1– विपिन चन्द्र मिश्रा उर्फ गौतम आयु 40 वर्ष, पुत्र गोकुल प्रसाद मिश्रा निवासी 01 टू 8 कुढ़ा उन्दा अटरामपुर, थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज।

––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

<u>30–06–2026</u>

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्त **विपिन चन्द्र मिश्रा उर्फ गौतम** की ओर से अपराध संख्या **124/2026,** अन्तर्गत धारा– **318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **4/13** उ०प्र०सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)अधि० 2024 थाना **कोतवाली नगर,** जिला **रायबरेली,** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा सम्बन्धित थाने पर जरिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायबरेली, इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि – दिनांक 04.06.2026 को 11:54 बजे उपनिरीक्षक अतुल मावी थाना कोतवाली नगर रायबरेली ने फर्द बरामदगी के आधार पर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 04.06.2026 को वह पवन मोबाइल में नियुक्त कां० सौरभ और कां० रोशन दीक्षित को साथ लेकर थाना क्षेत्र में प्रचलित T.G.T (प्रशिक्षित ग्रेजुएट शिक्षक) के परीक्षा केन्द्रों की चेकिंग करता हुआ राजकीय इण्टर कालेज रायबरेली पहुंचा तो वहा पर मौजूद सफाईकर्मी बिमला ने बताया कि दिनांक 03.06.2026 को सायं एक व्यक्ति राजकीय इण्टर कालेज के परिसर में आया था और मुझसे इलेक्ट्रानिक डिवाइस बाथरूम में आज दिनांक 04.06.2026 की सुबह की पॉली में रखने के लिए कह रहा था मैंने मना कर दिया उस व्यक्ति को देखकर पहचान सकती हूँ। वह गेट पर ही मौजूद थे कि एक व्यक्ति हाथ में प्रवेश पत्र लेकर आया और अपनी चेकिंग कराने के लिए अन्दर गया तो परीक्षा केन्द्र में तलाशी व निरीक्षण करने वाली टीम द्वारा उस व्यक्ति को चेक किया गया तो उसके पास एक इलेक्ट्रानिक डिवाइस एयरटेल का 5G प्लस मिस लगा हुआ था तथा दो अदद एयर बड्स तथा 100/– रूपये तथा एक नोट 50/–रूपये का बरामद हुआ। जिससे अपना नाम भईया राम पटेल बताया जिसे समय 9:15 बजे धारा 318(4), 61 (2) बी०एन०एस० व 4/13 उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 के अन्तर्गत हिरासत में लेकर फर्द तैयार की गई और इसी फर्द के आधार पर थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में विवेचना प्रचलित है।

आवेदकगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में आवेदक–अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष हैं, उन्हें गलत एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर नामित किया गया है। फर्द बरामगदी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के आधार पर प्रार्थी / अभियुक्त की तलाशी परीक्षा केन्द्र पर तलाशी व निरीक्षण करने वाली टीम द्वारा चेक किया गया था, परन्तु उक्त टीम के किसी अधिकारी, कर्मचारी के हस्ताक्षर फर्द बरामदगी पर नहीं है फर्द बरामदगी में सफाई कर्मी बिमला के भी हस्ताक्षर नहीं है। प्रवेश पत्र के अनुसार परीक्षा केन्द्र का गेट प्रातः 8:45 बजे पर बन्द किये जाने का अंकन है फर्द बरामदगी के अनुसार गिरफ्तारी 9:15 बजे सुबह हुई है यदि प्रार्थी / अभियुक्त परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर प्रवेश कर चुका था तब तलाशी यदि परीक्षा संचालित टीम द्वारा की गयी थी तो मामले की भी इत्तिला सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के परीक्षा प्राधिकारी / केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा की जानी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि फर्द बरामदगी में परीक्षार्थी के कब्जे से कोई पेन, पेन्सिल या परीक्षा पत्र हल करने वाला कोई लेखन सामाग्री बरामद नहीं है यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में बिना लिखने की सामाग्री के साथ परीक्षा में शामिल होने जायेगा। प्रार्थी / अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रानिक डिवाइस, इयर फोन, बरामद नहीं हुई है। कथित फर्द बरामदगी मनगढन्त एवं फर्जी है जिस पर राजकीय इण्टर कालेज की परीक्षा संचालित करने वाली समिति एवं चेकिंग में लगे किसी अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध है। आवेदक–अभियुक्त अपने समुचित जमानत देने को तैयार हैं, विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है आवेदक–अभियुक्त विपिन चन्द्र मिश्रा उर्फ गौतम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नही है, भईया राम पटेल, विनय पटेल व सुनील सरोज प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है, किन्तु दौरान विवेचना विवेचक द्वारा विपिन चन्द्र मिश्रा उर्फ गौतम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य दौरान विवेचक संकलित करते हुये अभियुक्त की संलिप्तता कथित अपराध में दिखायी गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिये गये उपरोक्त बचाव व अभियोजन कथाने से पूर्णतः यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार TGT चयन परीक्षा दिनांक 04–06–2026 को आयोजित परीक्षा के सम्बन्ध में वादी उपनिरीक्षक अतुल मावी मय कां० सौरभ व रोशन दीक्षित के साथ TGT परीक्षा केन्द्रों की चेकिंग के दौरान राजकीय इण्टर कालेज रायबरेली की सफाई कर्मचारी बिमला द्वारा बताया गया कि दिनांक 03–06.2026 को सायं एक व्यक्ति राजकीय इण्टर कालेज के परिसर में आया था और उसने, उससे इलेक्ट्रानिक डिवाइस बाथरूम में रखने के लिए कहा किन्तु उसने मना कर दिया और दूसरे दिन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति हाथ में प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केन्द्र में आया और उसकी चेकिंग टीम द्वारा परीक्षा केन्द्र में उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास एक इलेक्ट्रानिक डिवाइस एयरटेल का 5G प्लस

मिस लगा हुआ था तथा दो अदद एयर बड्स तथा 150/– रूपये बरामद हुआ। उक्त व्यक्ति का नाम भईयाराम पटेल बताया गया , जिसकी वीडियों बनाकर व्हाटसएप पर वादी उपनिरीक्षक को दिये जाने पर मु०अपराध संख्या 124/2026, अन्तर्गत धारा– 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,व 4/13 उ०प्र०सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)अधि० 2024 दिनांक 04–06–2026 को समय 11.54 बजे अभियुक्तगण भईयाराम पटेल, विनय पटेल एवं सुनील सरोज के विरूद्ध दर्ज हुयी और शेष अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आने पर उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है।

विधि व्यवस्था **"सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एन०सी०टी० दिल्ली)"** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णीत किया गया है कि, अग्रिम जमानत, अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर, आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे की समाप्ति तक जारी रह सकती है। साथ ही, अग्रिम जमानत के आदेश "व्यापक" नहीं होने चाहिए, जिसका अर्थ यह हो कि, यह अभियुक्त को आगे अपराध करने और राहत का दावा करने में सक्षम न बनाए। यह उस अपराध या घटना तक सीमित होनी चाहिए, जिसके लिए गिरफ्तारी की आशंका मांगी गई है, और वह भी एक विशिष्ट घटना के संबंध में। यह भविष्य में होने वाली किसी घटना के संबंध में लागू नहीं हो सकती।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक–अभियुक्त आवेदकगण/अभियुक्त **विपिन चन्द्र मिश्रा उर्फ गौतम** की ओर से अपराध संख्या **124/2026,** अन्तर्गत धारा– **318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **4/13** उ०प्र०सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण)अधि० 2024 एवं थाना **कोतवाली नगर,** जिला **रायबरेली,** में के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी/सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
30–06–2026

Ashutosh Kumar
Stenographer

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.06 12:04:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli